न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 55/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा :— आदेश 9 नियम 13 सीपीसी

रमनदीप कौर पत्नि कुलदीप सिंह पुत्री जगजीत सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

...........प्रार्थीया

बनाम

1– बलजीत कौर पत्नि हरजीत कौर
2– गुरविन्द्र सिंह पुत्र हरजीत सिंह
3– भूपेन्द्र सिंह पुत्र हरजीत सिंह
4– नसीब कौर पत्नी मुकन्द सिंह
5– जगसीर सिंह पुत्र मुकन्द सिंह
6– नक्षत्र सिंह पुत्र काका सिंह (फौत)
7– सुखपाल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह
8– रिछपाल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह
9– छिन्द्रपाल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह
10–भगवान कौर पत्नी अजमेर सिंह
11–बलकरण सिंह पुत्र गुजर सिंह
12–राजपाल कौर पुत्री गुजर सिंह
13–मलकीत कौर पुत्री गुजर सिंह
14–अमनदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह
15–सगनदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह
16–सुखजीत कौर पत्नी गुरदेव सिंह
17–मुख्तयार कौर पुत्री निक्का सिंह
18–गुरबक्शकौर उर्फ मनजीतकौर पत्नि कौरसिंह
19–हरदेव सिंह पुत्र कौर सिंह
20–गुरदास कौर पुत्री कौर सिंह
21–सिमरजीत कौर पुत्री कौर सिंह
22–जगदीप सिंह पुत्र जगेन्द्र सिंह
23–सुखदेव सिंह पुत्र जगेन्द्र सिंह
24–मिठु सिंह पुत्र बचन सिंह

जाति जटसिख साकिन इन्द्रगढ़
तहसील संगरिया,
जिला हनुमानगढ़ (राज0)

25–तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

अप्रार्थीगण

उपस्थित :—

1. श्री कुलदीप सिह संरा —वकील प्रार्थीया
2. श्री नवीन कुमार सेठी — वकील अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक :— 29.01.2025

अधिवक्ता वादीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 130/2016 प्रकरण बलजीत कौर बनाम् गुरविन्द्र सिहं वगैरामें पारित [illegible] निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017, अन्तिम डिक्री दिनांक 30.03.2017 [illegible] एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई, को अपास्त कर प्रार्थीया को सुनवाई का [illegible] प्रदान करने बाबत् प्र[illegible] अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है तथा [illegible] की वंशावली निम्न प्रकार [illegible] प्रार्थना–पत्र की व उक्त निर्णित वाद सख्या 30/2016 की सही स्थिति को समझने के लिये आवश्यक है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 16:20:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

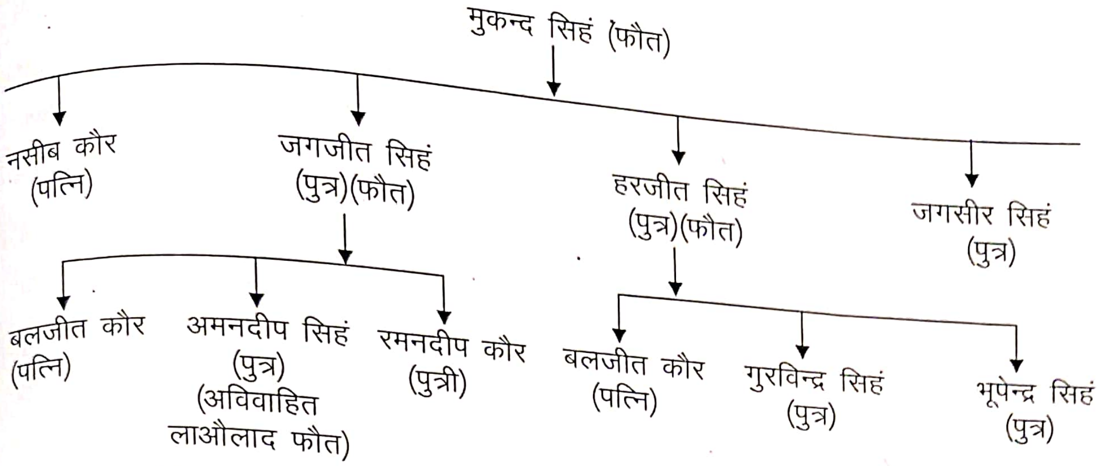

यहां यह उल्लेखित किया जाना प्रासंगिक है कि बलजीत कौर पत्नि जगजीत सिहं पुत्र मुकन्द सिहं के नुत्फे से बलजीत कौर के प्रार्थीया रमनदीप कौर व अमनदीप सिहं दो सन्तान पैदा हुई। प्रार्थीया के पिता जगजीत सिहं की मृत्यु सन् 1990 में हो जाने पर प्रार्थीया की माता बलजीत कौर ने दूसरी शादी जगजीत सिहं के सगे भाई हरजीत सिहं पुत्र मुकन्द सिहं के साथ कर ली और माता बलजीत कौर ने प्रार्थीया व उसके भाई को बचपन में ही छोड. दिया था। प्रार्थीया के भाई अमनदीप सिहं ने ही प्रार्थीया की शादी की थी। हरजीत सिहं के नुत्फे से उक्त बलजीत कौर के 2 पुत्र क्रमशः गुरविन्द्र सिहं व भूपेन्द्र सिहं पुत्रगण हरजीत सिहं है। प्रार्थीया के सगे भाई अमनदीप सिहं (अविवाहित लाऔलाद) की मृत्यु 20.07.2015 में हो गई। अब माता बलजीत कौर पत्नि जगजीत सिहं के नुत्फे से प्रार्थीया एक मात्र संतान शेष है। प्रार्थीया अपने भाई अमनदीप सिहं(अविवाहित फौत) की एक मात्र वैध एवं विधिक वारिस है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व प्रार्थी के भाई अमनदीप सिहं (फौत) के नाम से चक नं. 7 पीटीपी खाता संख्या 124/126 चक नं. 7 पीटीपी के खाता संख्या 123/128 व चक नं. 5 आईडीजी के खाता संख्या 24/24 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। नकल जमाबन्दीयां संलग्न प्रार्थना–पत्र है। वादीया सं. 01 द्वारा एक वाद बलजीत कौर बनाम् गुरविन्द्र सिहं वगैरा वाद संख्या 130/2016 दिनांक 17.05.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें वादीया द्वारा जानबुझकर प्रतिवादीया सं.8 का गलत पता पेश करते हुए मिथ्या आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी सं.1 व 2 अपने पुत्रों से मिलकर बेईमानी व कपटपूर्वक प्रार्थीया का गलत पता पेश कर प्रार्थीया की फर्जी तामिल करवाई गई। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2016 को प्रार्थीया की तामिल मानते हुए प्रार्थीया के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई व प्रार्थीया के विरूद्व एक तरफा डिक्री प्राप्त की गई। जबकि प्रार्थीया शादीशुदा है तथा विगत् करीब 8 वर्षो से अपने ससुराल गांव मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में स्थाई रूप से निवास कर रही है। प्रार्थीया का आधार कार्ड भी वहीं बना हुआ है। जिसकी जानकारी वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रारम्भ से ही रही है। उक्त अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने आपस में षडयंत्र रचकर जानबुझकर बदयांतिपूर्वक प्रार्थीया का गलत पता वाद पत्र में अंकित कर अपर्याप्त व विधि विरूद्व तामिल करवा ली व प्रार्थीया के विरूद्व एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित करवा ली व प्रार्थीया को बिना कोई सूचना दिये चोरी छिपे राजस्व अधिकारियों से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल दर्ज करवा लिया। प्रार्थीया को कभी भी विधिवत सम्मन की तामिल नहीं करवाई गई व न ही प्रार्थीया के सही पते पर इस बाबत कोई सूचना दी गई। जिस कारण प्रथम दृष्टया उक्त एक पक्षीय कार्यवाही निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी वादीया ने जानबुझकर बदयांतिपूर्वक षडयंत्र रचते हुए प्रार्थीया का गलत पता वाद पत्र में अंकित करवा एकतरफा डिक्री हासिल की गई हैं वादीया द्वारा जानबुझकर गलत पते पर फर्जी तरीके से तामिल करवाकर निर्णय व डिक्री पारित करवा ली है व राजस्व रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 16:20:36 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं
ण्ड अधिकारी
संगरिया

में इन्तकाल दर्ज करवा लिया। जिसका अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी रहस्योदघाटन नहीं किया गया ताकि प्रार्थीया को कभी पता नहीं चल सके। अप्रार्थीगण की उक्त सभी कार्यवाहीयां अपने आप में संदेह पैदा करती है कि अप्रार्थीगण के मन में शुरू से ही बदयांति व लालच रहा है तथा मिलीभगत कर प्रार्थीया के विरूद्व षडयंत्र रचा गया है। उक्त वाद में प्रार्थी के एक मात्र भाई अमनदीप सिहं जो कि अविवाहित फौत हो गया था के हक व हिस्सा की कृषि भूमि वादीया द्वारा अपने नाम करवा ली गई व प्रार्थीया को बिना कोई सूचना दिये सांझा खाता में से सुविधाजनक उपजाऊ व अच्छी किस्म की कृषि भूमि की एकतरफा डिक्री अपने हक में करवाकर इन्तकाल दर्ज करवा लिया जिसे प्रार्थीया निम्न आधारों पर न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा कार्यवाही व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 व अन्तिम डिक्री दिनांक 30.03.2017 को अपास्त करवाना चाहती है। आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 व अन्तिम डिक्री दिनांक 30.03.2017 कतंई गलत विधि विरूद्व व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का सही अवलोकन नहीं करने के कारण काबिल निरस्ती है। आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व माननीय न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि प्रार्थीया प्रतिवादी संख्या 08 का सम्मन सही पता पर भेजा गया है या नहीं। प्रार्थीया का सम्मन गांव इन्द्रगढ तहसील संगरिया के पता पर भेजा गया. व सम्मन वादीया के पुत्र द्वारा ग्रहण करना व हस्ताक्षरित करना दर्शाया गया है। तामिल कुनिन्दा से मिलीभगत कर रिपोर्ट में प्रार्थीया को भाई के साथ परिवार में साथ रहना दिखाते हुए तामिल होना दर्शाया गया है व इसी आधार पर प्रार्थीया के विरूद्व एक तरफा आदेश पारित किया गया है। जबकि वास्तविक स्थिति अनुसार प्रार्थीया के भाई अमनदीप सिहं पुत्र जगजीत सिहं की मृत्यु वर्ष 2015 में हो चुकी थी तथा प्रार्थीया तामिल की दिनांक 20.09.2016 से पूर्व ही शादीशुदा थी व अपने पति के साथ स्थाई रूप से अपने ससुराल गांव मोरज़ण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में निवास कर रही थी। जिसकी जानकारी भलीभांति वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को थी। ऐसी परिस्थितियों में समस्त जानकारी रखते हुए भी प्रार्थीया को वाद की सूचना न देना व गलत पता पर फर्जी तामिल करवाकर प्रार्थीया के विरूद्व एक तरफा आदेश प्राप्त कर लेना वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का आपस में षड़यंत्र व बदयांति का होना प्रकट करता है। वादीया स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आई तथा न्यायालय को गुमराह क़रते हुए प्रार्थीया के विरूद्व एक तरफा डिक्री हासिल कर ली। वादीया द्वारा वाद पत्र में अपने आप को वादीया भी दर्शाया गया है तथा बतौर प्रतिवादी संख्या 06 अपने आपको बतौर प्रतिवादीया भी दर्शाया गया है। तथा अपनी ही फर्जी तामिल अपने पुत्र के साथ रहना दिखाकर अपने विरूद्व भी एकतरफा आदेश प्राप्त किये है। जो कि तामिल कुनिन्दा से मिलीभगती होना व फर्जी तामिल करवाना व वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में शुरू से ही मिलीभगती व वादीया के विरूद्व बदयांति व आपसी षड़यंत्र होना दर्शाता है। प्रतिवादी संख्या 06 बलजीत कौर नाम की अन्य कोई औरत नहीं है। केवल प्रार्थीया के हिस्सा को हड़पने के लिये उक्त कार्यवाही की गई है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दर्शाई गई वंशावली में प्रार्थीया के पिता व वादीया के पति स्वर्गीय जगजीत सिहं पुत्र मुकन्द सिहं व जगजीत सिहं के वारिसान को न दर्शाकर अधूरी वंशावली दर्शाई गई है। वादीया स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आई व वाद के सारभूत निर्णायक व अहम वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए व अधूरी वंशावली पेश करते हुए न्यायालय को गुमराह करते हुए प्रार्थीया के विरूद्व एक तरफा डिक्री हासिल की है जो प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व माननीय न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि प्रार्थीया की तामिल विधिवत् व सही तरीका से करवाई गई है या नहीं। उक्त वाद में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त खाता की कृषि भूमि थी जिसमें प्रत्येक खातेदार का संयुक्त रूप से अधिकार मानते हुए प्रार्थीया को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 16:20:36 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं
अधिकारी
संगरिया

भी प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसार सुना जाना नितान्त आवश्यक था लेकिन अप्रार्थीगण ने जानबुझकर लालच व बदयांतिपूर्वक आपसी शडयंत्र रचकर मिथ्या आधारों पर उक्त वाद प्रस्तुत किया। प्रार्थीया की फर्जी व अपर्याप्त तामिल करवाकर प्रार्थीया के विरूद्व एकतरफा डिक्री अपने पक्ष में पारित करवा ली। प्रार्थीया की सांझा खाता में से सुविधाजनक व उपजाऊ कृषि भूमि की एकपक्षीय डिक्री अपने हक में प्राप्त कर ली जिससे प्रार्थीया के हक व अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। प्रार्थीया अपने हक व अधिकारों से महरूम हो गई है। ऐसी स्थिति में उक्त एकपक्षीया डिक्री को अपास्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रश्नगत वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीया की जददी जायदाद है जिसमें प्रार्थीया के साम्पतिक हक व अधिकार निहित है। प्रार्थीया की उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि सांझा खाता में होने के कारण व प्रार्थीया जगजीत सिहं व बलजीत कौर (वादीया) की एक मात्र सन्तान शेष होने के कारण उक्त वादग्रस्त सम्पति में अपने हक व अधिकार रखती है तथा उक्त वाद पत्र में अपनी अहम जवाब देही रखती है। इसलिये प्रार्थीया के विरूद्व उक्त एकतरफा कार्यवाही को अपास्त किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को नुकसान पहुंचाने के उद्‌देश्य से उक्त एकतरफा डिक्री हासिल की है जो प्रार्थीया की सहमति व स्वीकृति के बिना समस्त कार्यवाही छुपे तौर पर की गई है तथा अब अप्रार्थीया अपने राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए वादग्रस्त अपने नाम की कृषि भूमि को अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचने व खुद बुर्द करने के लिये प्रयासरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को इस आश्य की स्पष्ट धमकीयां भी दी है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस अविधिक व मनमाने कृत्य में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका आंकलन धन के रूप में नहीं आंका जा सकता। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आषय की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वे आक्षेपित निर्णय व डिक्री की अनुपालना में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने या अन्य किसी व्यक्तियों को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने से निषेध रहे। जब प्रार्थीया ने अपनी उक्त कृषि भूमि सम्बन्धि कागजात लेने के लिये पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो प्रार्थीया को उक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ। प्रार्थीया द्वारा अपनी माता वादीया/प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से इस बात के लिये निवेदन किया कि वे प्रार्थीया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि प्रार्थीया को दे देवें व प्रार्थीया के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करवा देवें। लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। प्रार्थीया को आक्षेपित आदेश निर्णय व डिक्री के बारे में कभी भी जानकारी नहीं रही। प्रार्थीया द्वारा पटवारी हल्का से जमाबन्दी लेनी चाही तो दिनांक 20.08.20 प्रार्थीया को पटवारी हल्का से पता चला कि अप्रार्थीगण के द्वारा कोई डिक्री पारित करवाई गई है। प्रार्थी ने न्यायालय में आंकर अपने अधिवक्ता से आकर पता किया तो सर्वप्रथम राजस्व वाद संख्या 130/2016 में पारित निर्णय व डिक्री के बारे में जानकारी हुई। चूंकि प्रार्थीया पर कभी भी विधिवत् तामिल नहीं हुई व न ही प्रार्थीया को पूर्व में कभी आक्षेपित निर्णय व डिक्री की जानकारी रही है। अब प्रार्थीया को आक्षेपित निर्णय व डिक्री के बारे में पता चलते ही प्रार्थीया द्वारा नकलें प्राप्त कर बिना किसी देरी के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। लेकिन भविष्य में कोई अधिक देरी न आये इसलिये प्रार्थीया आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 से दिनांक 07.0... तक की देरी को माफ करवाना चाहती है। जिस हेतु मियाद अधिनियम के अन्तर्गत अलग से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य बिन्दू वरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगे। प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो 2/–रूपये के न्याय पुल्क पर जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 16:20:36 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं
...ड अधिकारी
...संगरिया

अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेष 9 नियम 13 सीपीसी पेष कर निवेदन है कि प्रकरण संख्या 130/2016 बअनवानी बलजीत कौर बनाम् गुरविन्द्र सिहं आदि में पारित एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 अन्तिम डिक्री दिनांक 30.03.2017 को अपास्त कर प्रार्थी को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 7 ता 24 बावजूद सुचना उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी संख्या 25 की ओर जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई जिसमें प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है बलजीत कौर पत्नी जगजीत सिंह पुत्र स्वं मुकन्द सिंह के नुत्फे से प्रार्थीया रमनदीप कौर व अमनदीप सिंह दो सन्तान पैदा हूई। प्रार्थीया के पिता जगजीत सिंह की मृत्यु सन् 1990 में हो जाने पर प्रार्थीया की माता बलजीत कौर ने दूसरी शादी जगजीत सिंह के सगे भाई हरजीत सिंह पुत्र मुकन्द सिंह के साथ कर ली थी और माता बलजीत कौर ने प्रार्थीया व उसके भाई को बचपन में ही छोड़ दिया था प्रार्थीया के सगे भाई अमनदीप सिंह ने ही प्रार्थीया की शादी की थी। हरजीत सिंह के नुत्फे से उक्त बलजीत कौर के दो पुत्र क्रमशः गुरविन्द्र सिंह व भुपेन्द्र सिंह पुत्रगण हरजीत सिंह है प्रार्थीया के सगे भाई अमनदीप सिंह (अविवाहित,लाऔलाद) की मृत्यु हो गई.। अब माता बलजीत कौर पत्नि जगजीत सिंह के नुत्फे से प्रार्थीया एक मात्र सन्तान शेष हैं। प्रार्थीया अपने भाई अमनदीप सिंह (अविवाहित, लाऔलाद) की एक मात्र वैध एवं विधिक वारिस हैं। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के नाम व प्रार्थीया के भाई अमनदीप सिंह के नाम से चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 124/126 चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 123/128 व चक 5 आई.डी.जी.के खाता संख्या 24/24 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एक वाद बलजीत कौर बनाम गुरविन्द्र सिंह वगैरा वाद सं 130/ 2016 दिनांक 17.5.2016 को जानबूझकर प्रार्थीया (प्रतिवादीया सं 8) का गलत पता पेश करते हुये मिथ्या आधारो पर वाद प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी सं.1 व 2 अपने पुत्रों से मिलकर बेईमानी व कपटपूर्वक प्रार्थीया का गलत पता पेश कर प्रार्थीया की फर्जी तामील करवाई गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2016 को प्रार्थीया की तामील मानते हुये प्रार्थीया के विरूद्ध एक तरफा डिकी पारित की गई जबकि प्रार्थीया शादीशुदा है तथा अपने ससुराल गाँव मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में स्थाई रूप से निवास कर रही है प्रार्थीया का आधार कार्ड भी वहीं बना हुआ है जिसकी जानकारी वादीया व प्रतिवादी सं 1 व 2 को प्रारम्भ से ही रही है उक्त अप्रार्थी सं 1 ता 3 नें आपस में षंडयत्र रचकर जानबूझकर बदयांतिपूर्वक अप्रार्थी 1 (वादी) द्वारा जान बुझकर मुझ प्रार्थीया का गलत पता अंकित कर अपर्याप्त व विधि विरूद्ध तामील करवा ली व प्रार्थीया के विरूद्ध एक तरफा निर्णय व डिकी पारित करवा ली व इन्तकाल दर्ज करवा लिया। प्रार्थीया को कभी भी विधिवत सम्मन की तामील नहीं हुई है जिस कारण प्रथम दृष्टया उक्त एक पक्षीय निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 16:20:36 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी 1 ने वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुये व अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि तामील कुनिन्दा द्वारा विधिवत वादीया की तामील करवायी है और एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित हुये है। दावा अदालत हाजा द्वारा नियमानुसार सही डिक्री हुआ है जिसे निरस्त करवाने का प्रार्थीया को कोई अधिकार नहीं है व इस डिक्री से

कलक्टर एवं
अधिकारी
मारिया

प्रार्थीया को कोई हानि नहीं हुई है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद नहीं है इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने कथनो के समर्थन में निम्नांकित न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये:–

1. आर आर टी 2006 (1) पेज 523
2. आर आर टी 2008 (2) पेज 1182
3. आर आर टी 2013 (2) पेज 860

अधिवक्ता अप्रार्थी स. 1 ने अपने कथनो के समर्थन में निम्नांकित न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये:–

1. 2021 (4) सिविल कोर्ट केसेज 0661 (मद्रास)
2. 2024 आईएनएससी 932 (एस सी)
3. 2022 (3) सिविल कोर्ट केसेज 0302 (राजस्थानं)
4. 2020 (3) सिविल कोर्ट केसेज 0302 (एच.पी.)
5. वी.एल.सी (एस.सी.) सिविल

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं माननीय न्यायालयों के न्याय दृष्टन्तो का ससम्मान ध्यान किया गया। प्रार्थीया रमनदीप कौर द्वारा प्रस्तुत उसके निवास सम्बधित दस्तावेज का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि प्रार्थीया अपनी शादी उपरान्त अपने स्थायी पते गांव मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर में रह रही है एवं प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 1 बलजीत कौर ने अपने जबाबदावा में प्रार्थीया की शादी या उसके स्थायी निवास पते मोरजण्डखारी होने से इन्कार नही किया गया है और वाद सं 130/2016 अनवान बलजीत कौर बनाम गुरविन्द्र सिंह वगैरा में प्रार्थीया का सम्मन जारी हुआ जिसमें उसका पता गांव इन्द्रगढ तहसील संगरिया दर्ज ऐसी. स्थिति यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया को विधिवत तामील हुई हो यह नहीं माना जा सकता जबकि वाद सं 130/2016 अनवान बलजीत कौर बनाम गुरविन्द्र सिंह वगैरा में अप्रार्थी संख्या 1 (वादीया) प्रार्थिया (प्रतिवादी सं.8) की माता है तथा सम्मन प्राप्त करने वाला प्रार्थीया का भाई है जो सम्मन में दर्शाया भी गया है। वाद सं 130/2016 अनवान बलजीत कौर बनाम गुरविन्द्र सिंह वगैरा में वादीया माता व भाई को प्रतिवादी सं.8 (प्रार्थीया) का स्थायी निवास का पता न होना अविश्वसनीय हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के तथ्यों व शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाकर मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मूल वाद संख्या 130/2016 बअनवानी बलजीत कौर बनाम गुरविन्द्र सिंह आदि में प्रतिवादी सं 8 के विरूद्ध की गई एकतरफा निर्णय [illegible] डिक्री दिनांक 11.02.2017 एव अन्तिम डिक्री दिनांक 30.03.2017 को निरस्त किया जाता है [illegible] प्रकरण को पुनः नये नम्बर पर दर्ज किया जाकर पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 8 के जबाव हेतु दिनांक 28.02.2025 को प्रस्तुत हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 16:20:36 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया